

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यांश हेतु ₹ 2,768.553 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 27,68,55,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 2 से 3

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत RSETI कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश मद में ₹ 2251.82 लाख एवं SVEP कम्पोनेन्ट हेतु केन्द्रांश मद में ₹ 288.22 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल राशि ₹ 25,40,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत SVEP कम्पोनेन्ट हेतु राज्यांश मद में ₹ 192.14 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,92,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 5 से 7

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 300 का प्रतीक प्रावधान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 8

ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान अंतर्गत फोटो कॉपी मशीन क्रय हेतु ₹ 1.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान हेतु ₹ 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 10

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि ₹ 11,012.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 110,12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹ 5,050.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।